

हरिजनसेवक

(संस्थापकः महात्मा गांधी)

सम्पादकः मगनभाऊ प्रभुदास वेसाऊ

दो आना

भाग १७

अंक १०

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाऊ देसाऊ
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ९ मधी, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

हमारा अनोखा मिशन

[चांडिल सर्वेदय-सम्मेलनमें ता० ७-३-'५३ को दिये गये विनोदाजीके पहले दिनके भाषणकी दूसरी किस्त।]

२

हमारा असली काम और बुसकी दृष्टि

मैं दूसरी मिसाल दूँ। अभी खादी-बोर्ड बन रहा है। सरकार खादीको मदद देना चाहती है। पंडित ने हरूने कहा, 'मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो काम चार साल पहले हो हो जाना चाहिये था, वह अितनी देरीसे क्यों हो रहा है?' वे महान हैं। अनुका दिल महान है। वे अत्यनिरोक्षण करते हैं और विस तरहका भाषा बोलते हैं। अब हमारा काम है, चरखा-संघका काम है कि सरकार खादीको बढ़ावा देना चाहती है, खादीका अन्तपादन बढ़ाना चाहती है, तो अुसको कुछ मदद दें; क्योंकि चरखा-संघको विस कामका अनुभव है और अनुभवियोंकी मदद असे कामके लिये जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अेक नागरिकके नाते और अेक माहिरके नाते अपनी सरकारको जो मदद देना जरूरी है, वह देना चाहिये। लेकिन अगर हम अुसमें खतम हो जायें, समाप्त हो जायें, तो हमने खादीकी वह सेवा नहीं की, जैसी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादीके बारेमें अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध रखनी चाहिये और अुस दिशामें काम करते हुए सरकारको खादी-अन्तपादनमें जो मदद पहुँचानी चाहिये, वह पहुँचाना चाहिये। हमें युद्ध भिटानेके तरीके दृढ़ने चाहिये। और तिस पर भी युद्ध चलें, और हमें जरूरी सिपाहीयोंको मददमें जाना पड़े तो जाना चाहिये। यह तो युद्धका हिस्सा ही है, अैसा कह कर अुसका विनकार करेंगे अैसो बात नहीं, पर ध्यानमें रखेंगे कि वह हमारा असली काम नहीं है। हमारा खादी-काम ग्राम-राज्यकी स्थापनाके लिये हो सकता है।

खादी-काममें सरकारी सहयोगकी भर्तवा

विस भर्तवा पंडित ने हल मिलने आये और बड़े प्रेमसे बोले। मैंने नम्रतासे अनुका बहुत कुछ सुन लिया। और फिर जब अुन्होंने कुछ सलाह-मशविरा करना चाहा, तो मैंने अपने विचार थोड़ीमें प्रकट कर दिये। मैंने कहा कि खादीके लिये और ग्रामो-द्योगके लिये भी सरकारकी तरफसे अगर मैं कोओ चीज चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि जैसे हरअेक नागरिकको पढ़ना-लिखना आना ही चाहिये, क्योंकि नागरिकत्वका वह अंश है, अनिवार्य अंश है, अैसा हम मानते हैं और अिसलिये हमारी सरकार सबको शिक्षित बनानेकी, पढ़ना-लिखना सिखानेकी जिम्मेवारी महसूस करती है, मान्य करती है। चाहे अुस पर वह पूरा अमल न करने पाए; परिस्थितिके कारण आंशिक अमल करे, लेकिन जब तक

बुसका पूरा अमल नहीं हुआ है, सारेके सारे लोग पढ़ना-लिखना नहीं जान गये हैं, तब तक हमने अपना पूरा काम नहीं किया, विस तरहका खट्का दिलमें बना रहेगा। वैसे हा हमारी सरकार यह माने, यह विचार कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरअेक ग्रामाणको, हरअेक नागरिकको सूत कातना सिखाना चाहेये। जो ग्रामाण, जो नागरिक सूत कातना नहीं जानते, वे अशिक्षित हैं, अितना माने और बाकाका सब काम जनता करे। हम सरकारसे पैसेकी मदद नहीं मांगग, परन्तु यह विचार अगर वह स्वाकार करता है, तो अुससे हमें अधिकसे अधिक मदद मिलता है। तो यह सब अुन्होंने सुन लिया। मैं समझता हूँ कि अनुके हृदयको तो वह जंचा हा होगा, पर सहज बिनादमें अुन्होंने पूछा कि सूत कातना अगर सबको सिखा दें, तो अुसके अुपयोगका सबाल आयगा। तो मैंने जबाब दिया कि पढ़ना-लिखना सिखाने पर भी तो अुसके अुपयोगका सबाल रहता हा है। मैंने असे कभी पढ़-लिखे भाऊ। देख हैं, जो थोड़ासा दा-चार साल पढ़ और अुसका अनुकी जिन्दगामें कभी कोओ अुपयोग नहा हुआ। अनुके लिये काला अक्षर भैंस बराबर होता है। 'योग'के साथ 'क्षम' लगा है। यह चिंता करनी पड़ता है। पर आप देखेंगे कि मैंने खादीके लिये सिर्फ अितनी ही मांग की है। जबकि जनताकी सरकार है और जनताकी तरफसे यह मांग होगी, तो सरकारको अुतना करना चाहिये। परन्तु विससे अधिक लोगों पर खादी लावनकी बात अगर कानूनसे होगी, यानी मैं अैसी मांग करूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम समझा नहीं है। दंड-शक्तिसे भिन्न हमें लोकशक्ति निर्माण करनी है, यह सूत्र मैं भूल गया हूँ।

दंड-निरपेक्षताका निर्माण

ये दो मिसालें सहज दीं, अेक खादीकी और दूसरी भूमिकानकी। हम भूमिका मसला हल करने जायंगे तो हमारा अेक तरीका होगा। और लोकशाही सरकार अगर वह हल करना चाहेही, और दंड-शक्तिका अुपयोग करके अुसे करना चाहेही और करेगी, तो अुसको कोओ दोष नहीं देगा। लेकिन अुसका दूसरा मार्ग है। सरकारकी विस तरहकी मददसे जनशक्ति निर्माण नहीं होगी, लक्ष्मी भले ही निर्माण हो। हमारा अुद्देश्य सिर्फ लक्ष्मी निर्माण करना नहीं, बलिक जनशक्ति निर्माण करना होगा। यह सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे है। अब यह दृष्टि हमारी स्थिर हो जाय, तो फिर हमारी कार्यपद्धति क्या होगी, विसका विशेष वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। हर कोओ सोचेगा कि हरअेक रचनात्मक काम करनेमें हमारी अेक विशेष पद्धति होगी। विस पद्धतिसे काम करनेसे आखिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगोंमें दंड-निरपेक्षता निर्माण हो।

कार्य-पद्धतिके दो अंश

जिस दृष्टिसे यदि सोचेंगे तो सहज ही ध्यानमें आयेगा कि हमारी कार्य-पद्धतिके दो अंश होंगे। अंक अंश होगा विचार-शासन और दूसरा अंश होगा कर्तृत्व-विभाजन। मुझे जरा शास्त्रीय शब्द बनानेकी आदत है, और क्योंकि संस्कृत भाषा ही में विशेष जानता हूँ, जिसलिये संस्कृत शब्द आ जाते हैं। तो आप जरा मुझे क्षमा करें।

सर्वोदय-समाजकी आधार-शिला

विचार-शासन यानी विचार समझाना और विचार समझना, जिन विचार समझे किसी बातको कबूल न करना, जिन विचार समझे अगर कोअी हमारी बात कबूल करता है तो दुखी होना, अपनी जिच्छा दूसरों पर न लादना, बल्कि केवल विचार समझा करके हो सन्तुष्ट रहना। हमारा सर्वोदय-समाजकी योजनामें हमने जो रचना का है, अुसको कुछ लोग “लूज ऑगेनियरिंशन” यानी “शिथिल रचना” कहते हैं। रचनाको अगर हम शिथिल करें, तो कोअों काम नहाँ बनेगा। जिस वास्ते रचना शिथिल नहा होनी चाहिये। पर यह ‘शिथिल रचना’ न होते हुओ ‘बरचना’ है, यानी केवल विचारके आधार पर हम खड़े रहना चाहते हैं। हम किसीको आदेश नहाँ देते, जिसे वे जिन समझ-बूझ ही अमलमें लायें। हम किसीका आदेश कबूल नहाँ करते, जिसका कि जिन सोचे और जिन पसन्द किये हम अमल करते जायें। बल्कि हम तो सलाह-भावेरा करते हैं। कुरानमें भक्तोंका लक्षण गाया गया है कि अुनका वह ‘अम’ याना काम परस्परके सलाह-भाव-वरेसे होता है। तो हम मशविरा करेंगे और बहुत खुश होंगे कि हमारा चाज हमारे सुननवालेने, जब कि अुसको पसन्द नहा आया था, मान्य नहा का और अुस पर अमल नहा किया। अुसके अमल न करनेसे हमें बहुत खुश होगा। और जिन समझ-बूझ अगर अमल करता है, तो हमें बहुत दुख होगा। यह जो रचना है अुसमें मैं जितना ताकत देखता हूँ, अुतना और किसी कुशल रचनामें, स्पष्ट रचनामें और अनुशासनबद्ध रचनामें नहों देखता। अनुशासनबद्ध दण्ड-युक्त रचनामें शाकेत नहा होती सो बात नहाँ। पर वह शक्ति नहाँ होता, जो शिव शाकेत है और जो हमें पैदा करना है। वह शाकेत दूसरों शक्ति है। हमारे खयालसे वह शक्ति नहाँ है, जिसलिये विचार-शासनको हम मानना चाहते हैं। अगर यह ध्यानमें आयेगा, तो विचारका निरंतर प्रचार करना हमारा अंक कार्यक्रम बनेगा, जो हम नहाँ कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिये।

विचार, विचार और विचार

जब मैं जिस दृष्टिसे सोचता हूँ, तो बुद्ध भगवान्ने भिक्षु-संघ क्यों बनाये होंगे और शंकराचार्यने यति-संघ क्यों बनाये होंगे, जिसका रहस्य खुल जाता है। तिस पर भी अुत संघोंके जो अनुभव आये हैं, अुनके गुण-दोषोंकी तुलना करके मैंने अपने मनमें यह निर्णय किया है कि हम अंसे संघ नहाँ बनायेंगे, क्योंकि अुनके गुणोंसे अुनके दोष अधिक होते हैं। यह अनुभव आया है, जिसलिये हम संघ तो नहाँ बनायेंगे, पर अुनको क्यों बनाने पड़े, जिसका खयाल अुससे आ जाता है। निरंतर, अखंड बहते हुओं ज्ञानेकी तरह सतत धूमनवाले और लोगोंके पास सतत विचार पहुँचानेवाले लोग होने चाहियें। अुसके बगैर सर्वोदय-समाज काम नहाँ कर पायेगा। लोगोंके पास पहुँचनेके जितने मौके मिलें, अुतने प्राप्त करने चाहियें। लोग अंक बार कहने पर नहाँ सुनते हैं, तो दुवारा कहनेका मौका आने पर हमें खुशी होनी चाहिये।

जितना विचार-प्रचारका अुत्साह और जितनी विचार पर श्रद्धा, विचार-निष्ठा हममें होनी चाहिये। लेकिन हमारी हालत यह है कि हममें से बहुतसे लोग भिन्न-भिन्न संस्थाओंमें गिरफ्तार हो गये हैं। जिसका थोड़ा जिक बादमें कहगा, सिर्फ़ अभी अल्लेख मात्र किया है। यद्यपि वे संस्थायें महत्वकी हैं, तो भी हमें संस्थाओंकी आसक्ति न हो, भक्ति रहे और अुनका काम जारी रखें। लेकिन संस्थामें कुछ मनुष्य अंसे हों, जो सदा धूमते रहें। जिस तरहकी रचना और अंसा कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन नहाँ चलेगा।

पत्रकसे पत्रक ही पैदा होते हैं

बिहारके लोग कुछ अभिमानसे कहते हैं और अन्हें अभिमान करनेका हक भी है कि भूदान-यज्ञका काम विहारकी कांग्रेसने प्रथम अठाया और अुसके बाद हैदराबादमें ८० भा० कांग्रेसने अुसको स्वीकार किया। तो होता क्या है? अूपरसे अंक ‘सरक्यूलर’ (पत्रक) आता है — “भूदानमें मदद देना कांग्रेसवालोंका कर्तव्य है।” गंगा हिमालयसे गिरती है और हरिद्वार आती है। तो वहांका पत्रक प्रांतिक समितिमें आता है। और हिमालयसे गंगा हरिद्वार आने पर अंगे बहती है और गढ़मुतेश्वर जाती है। यह पत्रक भी प्रांतिक समितिसे जिला ऑफिसमें जाता है। गंगा कहसे कहाँ भी जाय, पर वह पानी ही रहती है, गंगा ही रहती है। अुसी तरह पत्रकमें से पत्रक ही पैदा होते हैं। मैंने विनोदके तौर पर अंक दका कहा था कि हरअंक जाति अपनी ही जातिको पैदा करती है। वैसे ही पत्रक भी पत्रक ही पैदा कर सकता है। आखिर काम कौन करेगा? काम तो करना होगा ग्रामके लोगोंको, लेकिन ग्रामके लोगों तक वह पहुँचता कहाँ है? वह तो अंक ऑफिससे दूसरी ऑफिसमें जाता है, वहांसे तीसरी ऑफिसमें जाता है, सिर्फ़ जितना ही होता है। यह जो भूदान-यज्ञका हमारा कार्यक्रम है, वह तब तक नहों हो सकता, जब तक कि हम घर-घर नहीं पहुँचेंगे। पांच लाख देहरादूनसे पच्चीस लाख अंकड़ जमीन हम हासिल करना चाहते हैं। यों तो आसान काम दीखता है। फी गांव पांच अंकड़ कोअी बड़ी बात नहाँ। लेकिन अुतने गांवों तक पहुँचे कौन? जिसलिये हमारे पास मुख्य साधन विचार-प्रचारका ही हो सकता है। अुसकी योजना हमें करनी चाहिये, यह हमारा कार्यक्रम होगा।

हमारा अंक औजार विचार-शासन

अगर अंसा करनेकी हमारी हिम्मत नहाँ होती है, जितने गांवोंमें हम कैसे जायेंगे, कैसे धूमेंगे, अंसा हमें लगता हो और जिसको ‘छोटा काट’ — अंग्रेजीमें ‘शॉट कट’ — कहते हैं वह हम चाहते हैं, यानी यह चाहते हैं कि कानून बने, फलाना बने, तो यह बनाना और वैसी जिच्छा रखना हमारा काम नहीं है। कानून बने, जरूर बने, जल्द बने और अच्छा बने; पर अुस काममें हम लगेंगे तो परधर्मका आचरण करेंगे, स्वधर्मका नहीं। हमारा स्वधर्म है कि हम गांव-गांव धूमना शुरू करें और विचार पर विश्वास रखें। यह न कहें कि ‘अरे, विचार सुनने-सुनानेसे कब काम होगा?’ विचारसे ही काम होगा, क्योंकि हमारा काम विचारसे ही हो सकता है। तो यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन हमारा अंक औजार है।

कर्तृत्व और सत्ताका विभाजन

और दूसरा औजार है, कर्तृत्व-विभाजन। सारा कर्तृत्व, सारी कर्म-शक्ति अंक केन्द्रमें केन्द्रित नहीं होनी चाहिये, बल्कि गांव-गांवमें कर्म-शक्ति, कर्म-सत्ता निर्माण होनी चाहिये। जिसलिये

हम चाहते हैं कि हरअेक गांवको यह हक हो कि वहां कौनसी चौज आये और कौनसी चौज न आये, अिसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कोई गांव चाहता है कि हमारे यहां कोल्हू चले और मिलका तेल न आये, यानी मिलका तेल अनेसे रोकें, तो अुसे रोकनेका हक होना चाहिये। जब हम यह बात करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि अिस तरह अेक बड़ी स्टेटके अन्दर अेक छोटी स्टेट नहीं चल सकती। तो मैं कहता हूँ कि सत्ताका विभाजन अगर हम नहीं करेंगे, कर्तृत्वका विभाजन नहीं करेंगे तो सेना-बल अनिवार्य है, यह समझ लीजिये। तो फिर सेनाके बगैर आज तो चलेगा ही नहीं, और कभी भी नहीं चलेगा। फिर कायमके लिये यह तथ कीजिये कि सेना-बलसे काम लेना है और सेना सुसज्ज रखनी है। फिर यह न बोलिये कि हम सेनासे कभी-न-कभी छुटकारा चाहते हैं। अगर कभी-न-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हैं, तो जसा परमेश्वरने किया है, वैसा हमको करना चाहिये। परमेश्वरने अकलका विभाजन कर दिया। हरअेकको अकल दे दी — बिछूको भी दी, सांपको भी दी, शेरको भी दी, मनुष्यको भी दी। कमवेशी सही, लेकिन हरअेकको अकल दे दी और कहा कि अपने जीवनका काम अपनी अकलके अधारसे करो। और तब सारी दुनिया अितनी अुत्तम चलने लगी कि वह विश्रांति ले सकता है और यहां तक कि लोगोंको शंका भी होती है कि परमेश्वर है या नहीं। हमको राज्य ऐसा ही चलाना होगा जिससे शंका आ जाय कि कोओ राज्य-सत्ता है या नहीं। हिन्दुस्तानमें शायद राज्य-सत्ता नहीं है ऐसा भी लोग कहें, तब हमारा राज्य-शासन अहिंसक होगा। अिसलिये हम ग्राम-राज्यका अुद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राममें नियंत्रणकी सत्ता हो। अर्थात् ग्रामवाले नियंत्रणकी सत्ता अपने हाथमें लें। यह भी अेक जनशक्तिका प्रश्न आया कि गांववाले खुद खड़े हो जायं, निर्णय करें कि फलानी चौज हमको पैदा करनी है। और सरकारके पास मांग करें कि फलाना माल यहां नहीं आना चाहिये, अुसको रोकिये। वह अगर नहीं रोकती है, यानी रोक नहीं सकती, रोकना चाहती है तो भी मान लीजिये कि रोक नहीं सकती, तो अुसके विरोधमें खड़े होनेकी हिम्मत करनी होगी। और अुससे अुस सरकारको अत्यन्त मदद पहुँचेगी, क्योंकि अुसीसे सैन्य-बलका छेद होगा। अिसके बगैर सैन्य-बलका कभी छेद नहीं हो सकता। यह बात कभी नहीं हो सकती कि दिल्लीमें कोओ अंसी अकल पैदा हो जाय, चाहे वह ब्रह्मदेवकी अकल हो, जिसको चार दिमाग हैं और जो चारों दिशाओंमें देख सकता है। कितनी ही बड़ी अकल हो, यह ही नहीं सकता कि हरअेक गांवके सारे कारोबारका नियंत्रण और नियोजन वहांसे हो और वह साराका सारा सबके लिये लाभदायी हो। अिस बास्ते 'नेशनल प्लैनिंग' के बजाय 'विलेज प्लैनिंग' होना चाहिये। 'बजाय' मैंने कह दिया। बेहतर तो यह कहना होगा कि नेशनल प्लैनिंगका ही अर्थ विलेज प्लैनिंग होना चाहिये। और अुस विलेज प्लैनिंगकी मददके लिये जो कुछ करना पड़ेगा, अुतना दिल्लीमें किया जायगा। तो यह है हमारे कार्यक्रमका अेक दूसरा अंश। अेक तो पहले बताया था विचार-शासन और यह बताया कर्तृत्व-विभाजन। तो हम जो कुछ करते हैं, वह सारा कर्तृत्व-विभाजनकी दिशामें करना चाहते हैं। अिसलिये हम गांवोंमें जमीनका बंटवारा करना चाहते हैं।

राष्ट्रकी महान संपत्ति हम खो नहीं सकते

जमीनके बारेमें जब कभी सवाल पैदा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि 'सीरिंग' बनाओ, अधिक-से-अधिक जमीन कितनी

रखी जाय, यह सोचो। जब कि यह भूदान-यज्ञका आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और जनतामें अेक भावना पैदा हो रही है, तब यह बात बोली जा रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले तो कमसे-कम जमीन हरअेकको कितनी देना है, यह तय करो। यह मैं क्यों कह रहा हूँ? अिस बास्ते कह रहा हूँ कि मैं कर्तृत्व-विभाजन चाहता हूँ। जितने भी मजदूर हैं, वे सारे आज दूसरोंके हाथमें काम करते हैं। काम तो वे करते हैं, लेकिन अनुमें कर्तृत्व नहीं है। गाड़ी भी चलती है, लेकिन गाड़ीको हम कर्ता नहीं कहते, क्योंकि वह चेतनविहीन है। तो ये जो मजदूर खेतोंमें काम करते हैं, वे चेतनविहीन जैसा काम करते हैं। हाथोंसे काम करते हैं, पावोंसे काम करते हैं। लेकिन अनुके दिमागसे, अनुके दिलसे यह काम हो, अंसा हम चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मजदूरोंमें अुतनी अकल नहीं है अिसलिये अनुका दूसरोंके हाथमें रहना ही बेहतर है। तो मैं कहता हूँ कि यह अहिंसाका तरीका नहीं है। अनुमें जो अकल है अुसका परित्याग कर दें, तो दूसरी कोओ अकल, दूसरा कोओ खजाना हमारे पास नहीं है।

माना कि अेक मजदूरकी अकलसे किसी पूँजीवाले भाषीकी अकल ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर देशमें मजदूरोंकी जो अकल है, अुस अफलकी बराबरी दूसरी कोओ अकल नहीं कर सकती और अुस अफलका अगर हमको अपयोग न मिले तो हमारा देश बहुत खो देता है। अिस बास्ते जरूरी है कि मजदूरोंकी अकलका, जैसी भी वह आज है, पूरा अुपयोग हो। अिसके साथ-साथ अनुकी अकल बढ़े, अंसी भी योजना चाहिये और अनुकी अकल बढ़ानेकी जो भी योजना करें, अुसमें यह भी अेक योजना होगी कि अनुको जमीन दी जाय। अलावा अिसके कि हम अनुको और तालीम दें, अनुके हाथमें जमीन देना भी अेक तालीमका ही अंग होगा और अनुकी अकल बढ़ानेका भी वह अेक साधन होगा।

तो यह है कर्तृत्व-विभाजन और अुस दिशामें हम जो सौचते हैं। हमारे कार्यक्रमके जो दो पहलू हैं, वह मैंने बताये और अनु पहलूओंके मूलमें जो भूमिका है, वह भी बतायी। तो कार्य-पद्धतिके बारेमें कुछ कहा और अुसके बाद कार्य-विभाजन किस तरह करना चाहिये, कार्यक्रम क्या होना चाहिये, अुसके बारेमें भी थोड़ासा कहा। अब हम कार्य-रचना पर आते हैं। अुसके बारेमें भी थोड़ेसे विचार बता दूँ।

(अपूर्ण)

स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

काका कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखाच १-०-०

शाराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखाच ०-५-०

लोक-जीवन

काका कालेलकर

यह मराठी पुस्तक 'हिंडलग्याचा प्रसाद' नामक पहले छपी हुबी पुस्तकका संक्षिप्त संस्करण है। अिसमें लेखकने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वगैरा अनेक आधुनिक प्रश्नोंकी सर्वथा नउरी दृष्टिसे चर्चा की है।

कीमत १-४-०

डाकखाच ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

९ मई

१९५३

आंध्र और शाराबबन्दी

'आंध्रका नया राज्य' शीर्षक लेखमें (देखिये 'हरिजनसेवक', १८-४-५३) मैंने यह सुशाव पेश किया था कि मद्रास राज्यसे अलग हो जाने पर भी आंध्रको शाराबबन्दीकी नीति नहीं छोड़ना चाहिये और कहा था कि न्यायमूर्ति वांचूको अपनी रिपोर्टमें यह सवाल छेड़ना ही नहीं चाहिये था। मद्रासके 'अिण्डियन रिपब्लिक' पत्रने अपने २२ अप्रैल, १९५३ के अंकमें अपने सम्पादकीयमें मेरी विस सूचना पर आक्षेप किया है। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि अगर न्यायमूर्ति वांचूने अपनी रिपोर्टमें विस नये राज्यकी आयका सवाल जिस तरह अठाया है, असी तरह अठाना था, तो अनुकी समझमें यह आना चाहिये था कि शाराबबन्दीकी हमारी राष्ट्रीय नीति अर्थ, कानून और राज्यकी रूपया-पैसा-सम्बन्धी सभी दृष्टियोंसे बुद्धिमत्तापूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि जहां तक शाराबबन्दीकी नीतिका सवाल है, कम-से-कम वहां तक तो आंध्रको अपने जनक-राज्यकी ही नीति पर आरूढ़ रहना चाहिये। शाराबबन्दीके सम्बन्धमें हमारे संविधानका राष्ट्रीय आदेश आखिर असके लिये भी है, और असे तो अपना सौभाग्य मानना चाहिये कि मध्य और मादक द्रव्योंकी बन्दीकी कोशिश असे नये सिरेसे नहीं करना पड़ रही है, की हुबी मिली है, तथा वह विस सुयोगका लाभ विस कोशिशको सही दिशामें और आगे बढ़ानेमें कर सकता है।

बुक्त अखबारने विस नीतिकी बुद्धिमत्ताके विषयमें भी आक्षण अठाया है, आश्चर्यकी बात तो यह है कि यह आक्षेप, जिसे यह पत्र 'शाराबबन्दीका नैतिक पहलू' कहता है, असके आधार पर अठाया गया है। असके अनुसार यह नैतिक पहलू विस प्रकार है:

"पहली बात तो यह है कि विस नीतिकी अनिवार्यताका मन पर हानिकर प्रभाव होता है! (किसके मन पर? — स०) किसी भी तरहकी अनिवार्यताके खिलाफ लोगोंके मनमें जो स्वाभाविक नफरत होती है — वह और लोगोंके बरतावमें असे पैदा होनेवाली लुकाव-छिपावकी आदत जनताके नैतिक सामर्थ्यका नाश करती है।"

विस अखबारके अनुसार शाराबबन्दीका सिर्फ नैतिक ही नहीं, बौद्धिक पहलू भी है। असका वर्णन यिन शब्दोंमें किया गया है:

"भारतमें अधिकांश जनता अपड़ और अज्ञान है। असका बौद्धिक स्तर बहुत नीचा है। (क्या सचमुच ऐसा है? यह अखबार जिस तरह बहस करता है, अस तरह बहस करनेकी पंडिताओं चाहे अनुमें न हो, लेकिन यिसे तो ज्ञानवान होना नहीं कहते। — स०) शाराबबन्दीके मूलमें जो नैतिक या सामाजिक सिद्धान्त हैं, अनुहंस समझना कठिन है। विसलिये जरूरत लोगोंकी बौद्धिक समझका स्तर अपर अठानेकी है।"

ऐसी तरह आगे यह अखबार शाराबबन्दीकी आरोग्य-सम्बन्धी बाजूकी बातें भी करता है:

"दूसरी जरूरत लोगोंका आरोग्य सुधारनेकी है। यह तो सब लोग स्वीकार करेंगे ही कि हमारी जनताके स्वास्थ्यका स्तर बहुत नीचा है। अगर यिन सारी चीजोंमें ठीक सुधार

हो जाय, तो लोग खुद शाराबकी बुराओं समझ लेंगे और असे दूर रहेंगे।"

ऐसी दिलायू दलीलोंके आधार पर अन्तमें अखबार अपने कथनका अपसंहार करते हुए कहता है:

"राज्यको अपनी सारी साधन-सामग्री अिकट्ठी करना चाहिये। (क्या शाराबका नशा और यिस अभिशापका जो फल आता है, वह राज्यके लिये साधन-सामग्री-रूप होता है? — स०) असे आर्थिक दृष्टिसे सशक्त बनाना चाहिये और शिक्षा, डॉक्टरी मदद, रहनेके लिये घर आदिकी व्यवस्था करके लोगोंका जीवन-मान अूपर अठाकर ही सामान्य क्रममें शाराबकी बुराओं रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये। शिक्षासे बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और असके द्वारा ही यह सुधार सिद्ध होगा।"

सार्वजनिक धन खर्च करके लोगोंको शाराब और दूसरे मादक द्रव्य देकर और यिस तरह अनुकी नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक बरवादी करके अनुकी दशा सुधारने और अनुकी समझका स्तर अंचां अठानेका यह बढ़िया अपाय है! शिक्षासे यिस बौद्धिक शक्तिके बढ़नेकी अपेक्षा है, वह क्या यही है? असली बात यह है कि हमारी मौजूदा समाज-व्यवस्थामें शिक्षा, आरोग्य तथा समाज-कल्याणके ऐसे ही अन्य कामोंके नाम पर आज जो कुछ चल रहा है, असे लाभ अठानेवाले मध्यम और अूपरके वर्गके लोग यह चाहते हैं कि यिन कामोंके लिये पैसा शाराब-गांजा-कमाओंमें से ही खींचा जाय। सच पूछो तो यह चोरी ही है, खर्च होता है। रिस्वत्खोरी और गैरकानूनी शाराब आदिका काल्पनिक डर तो यिन वर्गोंकी ही दिमागकी अपज है, और असमें अनुका मतलब मनके पापको छिपाकर सज्जनताका स्वांग रचना शाराबबन्दी अनुहंस गंधीजीका दिया हुआ बड़ा वरदान है। तो हम जब गरीब जनता बहुत नाराजीके साथ यह समझेंगी कि अूपरले अनुहंस गरीबोंसे अपने लाभके लिये पैसा भिलता रहे। यदि चाहिये, तथा यदि वह गरीबों और दलितोंका हित करना चाहता है, तो असे असी मिथ्या दलीलोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये जैसी कि यिस अखबारने की है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि 'शाराबकी आय', यह एक निरर्थक और भुलावेमें डालनेवाला दक्षिणी अेशिया विभागके अध्यक्ष मिठौ रॉबर्ट पियर्सनने आँल व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरवादी होती है, असकी तुलनामें शाराबसे लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्तानके मुसाफिरोंका भ्रमाक अड़ानेवाले और अनुहंस घोखा देनेवाले किसी मृगजलसे भी ज्यादा भयंकर है।" अनुका यह भाषण यिसी अंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है, यिसलिये मैं असमें से और अधिक अूद्धरण यहां नहीं देना चाहता। हम बुद्धिमत्ती कहलानेवालोंको यह समझ लेना चाहिये कि हम लोग, जिनकी आज हमारे राज्यमें प्रवलता है, भारतकी गरीब जनताकी दिलसे चिन्ता करते हैं और असीके

कल्याणका प्रयत्न करते हैं, — अिस बातकी ओक बड़ी कस्टी शराबबन्दी है। यदि हम शराबबन्दीके पक्षमें हैं, तो ही हमारा दावा प्रामाणिक है, अन्यथा नहीं।

२९-४-'५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाषी देसांबी

शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है

[आन्तरराष्ट्रीय मद्यनिषेधक संघके दक्षिणी अंशिया विभागके अध्यक्ष श्री राँवर्ट पियर्सनने २६ अप्रैल, १९५३, रविवारके दिन अँल जिन्डिया रेडियोके बम्बांगी स्टेशनसे “शराबकी आमदनीका क्या होगा ?” विषय पर जो भाषण किया अुसमें से नीचेका भाग यहां दिया जाता है।]

पिछले तीन महीनोंमें मैंने भारतके अधिकतर भागोंका दौरा किया है। अिस यात्रामें मुझे कभी बड़े दिलचस्प लोगोंसे मिलनेका सीधार्य मिला। स्वभावतः मादक द्रव्य निषेधके महान अद्वेश्यके विषयमें अनुकी प्रतिक्रिया और खास तौर पर शराबबन्दीके विषयमें अनुका खब जाननेमें मेरी दिलचस्पी रही है। मेरी जिजासाने हरअेक स्तरके स्त्रो-पुरुषोंसे मेरा सम्पर्क स्थापित कराया। मैंने कॉलेजके प्रोफेसरोंसे बात की, व्यापारी और व्यवसायी लोगोंसे बात की, सफेदपोश बाबुओंसे बात की और भेनतकश किसानोंसे भी बात की। दक्षिण भारतके हरेभरे धानसे लहलहते हुओ खेतोंसे लेकर आपके अनुपम हिमालयकी हिमसंडित चोटियों तक मैंने शराबबन्दीके बारेमें लोगोंमें ओक ही मुख्य प्रश्न बार-बार अुठा पाया है : ‘शराबबन्दीकी अपनानेसे हमें आमदनीका जो नुकसान हो रहा है या होगा, अुसे हम कैसे पूरा करेंगे ?’

मैं देखता हूं कि आज भारतके हर हैसियतके लोगोंके दिमागमें शराबबन्दी और आमदनीके नुकसानका प्रश्न बहुत गहरायीसे जुड़ा हुआ है। शराबबन्दीके प्रश्नके साथ आमदनीके नुकसानका प्रश्न अुठे बिना नहीं रहता। अुदाहरणके लिये, मैं शराबबन्दीवाले ओक भागमें कुछ खरीदी कर रहा था। जब क्लार्कने मेरे हाथमें बिल दिया, तो अुसने मेरा ध्यान कीमतमें शामिल किये गये टैक्सकी तरफ खोचते हुओ कहा : “अगर हम शराबबन्दीके कारण अितना पैसा न गंवाते, तो हमें खरीद-कीमतके साथ ये सब टैक्स नहीं जोड़ने पड़ते।”

ओक दूसरे मीके पर, अभी हालमें, मैं ओक सुशिक्षित सज्जनके साथ, जिन्होंने ओक लेखक और ओक बड़ी युनिवर्सिटीके भूतपूर्व प्रोफेसरके रूपमें अपना परिचय मुझे दिया, रेलयात्रा कर रहा था। हमारी बात चीत जल्दी ही शराब वर्गीरा नशीले पेयों और शराबबन्दीके प्रश्नकी ओर मुड़ी। अुन्होंने कहा : “भारत जैसे देशके लिये शराबबन्दी बहुत ज्यादा महंगा प्रयोग है। हम ओक स्वतंत्र राष्ट्रके नाते दुनियामें अपना स्थान प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगे हुओ हैं। हमारे सामने अपने लोगोंकी हालतको सुधारनेके कभी जल्दी काम पड़े हैं। हमें बड़ी-बड़ी सिचायीकी योजनाओंका विकास करनेकी जरूरत है, ताकि हम जमीनको ज्यादा अुपजाऊ बनाकर ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। हमें अपने अद्योगोंका विकास करना है। हमें अपने यातायात और डाक-तारकी सुविधायें बढ़ानी और विकसित करनी हैं। हमें आजसे ज्यादा स्कूलों और अस्पतालोंकी जरूरत है। लेकिन अिन सब योजनाओं और कामोंके लिये पैसेकी जरूरत है। जिन राज्योंमें शराबबन्दी है, वे शराबसे होनेवाली करोड़ों रुपयोंकी आमदनी हर साल गंवाते हैं। हम अितनी भारी रकमकी हानि नहीं अुठा सकते, जिसकी हमें अपने राष्ट्रीय विकासके लिये बड़ी जरूरत है।”

बार-बार मैंने लोगोंके मुंहसे यही दलील सुनी है। आमदनीका नुकसान आज भारतमें शराबबन्दीके खिलाफ ओक सबसे बड़ा अंतराज है। लेकिन अब हम हकीकतों पर विचार करें। जायज शराबके कारण किसी राष्ट्रके नागरिकोंको जो नुकसान लाजिमी तौर पर होता है, अुसके बनिस्वत शराबकी आमद छोड़नेके कारण क्या अुसे ज्यादा नुकसान होता है ? दूसरे शब्दोंमें, क्या शराबबन्दीसे होनेवाली आमदनीकी हानि अुस बड़े हुओ खर्चसे ज्यादा है, जो किसी राज्यको शराबके कारण बढ़नेवाले गुनाहोंको रोकनेमें और जनकल्याणकी बड़ी हुबी मांगें पूरी करनेमें अनिवार्य रूपसे करना होगा ?

जायज शराब नशाखोरीको बढ़ाती है। और नशाखोरीका मतलब है ज्यादा गुनाह, ज्यादा दुर्घटनायें, ज्यादा घरोंका टूटना, ज्यादा कंगाली और नौजवानोंमें बड़ा हुआ दुराचार। राज्य अिन समस्याओंकी अुपेक्षा नहीं कर सकता। बड़े हुओ गुनाहोंका अर्थ है कानूनके अमल और जेलोंकी व्यवस्थाके लिये ज्यादा खर्च। ज्यादा दुर्घटनाओंका अर्थ है अस्पतालोंकी ज्यादा सुविधायें खड़ी करना। ज्यादा दुटे घरों, नौजवानोंमें बड़े हुओ पापाचार और ज्यादा कंगालीकी समस्याओंसे निवटनेके लिये राज्यको ज्यादा सा खर्च करना होगा। अिसे आप कभी न भूलें कि जायज शराबके पीछे ये मांगें तो अनिवार्य रूपसे आयेंगी ही; और दूसरे राष्ट्रोंका अनुभव यह बताता है कि सरकारको जायज शराबके कारण जो खर्च करना पड़ता है, वह शराबसे होनेवाली आमदनीसे कहीं ज्यादा होता है।

* * *

लेकिन शराबके व्यापारके सरकारी आंकड़ों पर ओक नजर डाली जाय, तो मालूम होगा कि तथाकथित आमदनीके आंकड़े कैसे पूर्णतया अधूरे और धोखा देनेवाले हैं। . . .

यह ओक बुनियादी सचायी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये : शराबके व्यापारसे जो सामाजिक बरबादी होती है और अुसके कारण सरकारको जो खर्च करना पड़ता है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आमदनी बिल्कुल नगण्य है।

अुदाहरणके लिये, मेरे अपने देश अमेरिकाको ही लीजिये। शराबका व्यापार केवल पैसेके रूपमें ही अमरीकी जनता पर प्रतिविन लगभग ३३,०००,००० डालरका या प्रतिविन १४,००,००० डालरका खर्च डालता है ! अिन आंकड़ोंको आप ५ से गुणा कर दें, तो आपको रुपयोंके रूपमें अिस भारी खर्चका ख्याल आ जायगा। अिसका विचार कीजिये। शराबके व्यापारके लिये अमरीकी जनताको प्रतिविन १६५ करोड़ रुपये या प्रतिविन ७० लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और हमारा देश नौजवानोंको शराबसे बचाने या प्रौढ़ोंको अुससे बचनेकी चेतावनी देना तो दूर रहा, हर साल शराबके व्यापारसे ३ अरब डालर पैदा करता जाता है और अुसे कानूनन् अुन लोगोंकी जेबेसे, जिन्हें वह अखबारों, रेडियो और अभी हालके बरसोंमें टेलिविजन द्वारा शराब खरीदनेकी लभावनी व भड़कीली अपील करके ठगता है, प्रतिविन ९ या १० अरब डालर हथियानेकी अजाजत देता है।

मेस्सेच्युसेट्स राज्यकी धारासभाके सामने जो रिपोर्ट पेश की गयी है, अुसमें ओक प्रसिद्ध जजकी अध्यक्षतामें जांच करनेवाली कमेटीने बताया है कि अुनके राज्यको शराब पर कुल ६०,०००,००० (३० करोड़ रुपये) डालरका सीधा खर्च करना पड़ता है, जब कि शराबके अद्योग पर लगाये गये करोड़े लगभग १३,०००,००० (६ करोड़ ५० लाख रुपये) डालरकी आमदनी होती है। अिस कमेटीने आगे बताया कि अगर शराबके व्यापारके अप्रत्यक्ष

परिणामोंका खयाल करें, तो राज्यका नुकसान भयंकर रूपमें बढ़ जायगा। यिस बातका सबूत है कि आम तौर पर शराब-अद्योग पर लगाये गये करोंसे राज्यको जो आमद होती है, अुससे लगभग ६ या ८ गुना खर्च अुसे शराबके कारण करना पड़ता है।

यिसी राज्यमें सावधानीसे की गवी जांचोंसे यह पता चला है कि पारिवारिक सम्बन्धोंका फैसला करनेवाली अदालतके सामने जो मामले पेश किये गये, अनमें से ४२ फीसदीका सीधा कारण शराब थी और ४७ फीसदी मामलोंका कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें माता-पिता या दोनोंके शराबके नशेमें चूर हो जानेसे पैदा हुआ परिस्थितियां थीं। बच्चोंको जीवनकी पूरी सुविधायें न मिलने या अनुके दुराचारी होनेका यही मुख्य कारण है। यिसी समस्याको हल करनेमें राज्यको बड़ी मात्रामें पैसा खर्च करना पड़ता है।

मेर्सेस्युच्युटेस राज्यमें यह भी पाया गया कि मृत्यु या कैदकी सजा दिये जाने लायक ५० फीसदी गुनाहोंका तथा ८५ फीसदी दुराचारों या छोटे गुनाहोंका कारण शराबखोरी है। शराब राज्यमें २५ फीसदी मानसिक रोगियोंके लिये सीधी और कम-से-कम १५ फीसदी और अंसे रोगियोंके लिये अप्रत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार है। अपराधियों और मानसिक रोगियोंकी चिन्ता करनेमें राज्यको अनाप-शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरे मित्रों, आप याद रखें कि जायज शराबके लिये देशको भारी खर्च करना पड़ता है। शराबसे होनेवाली अंक रूपयोंकी आमदनीके पीछे अुसे राज्य द्वारा शराबके कारण किया जानेवाला खर्च पूरा करनेके लिये ६ या ८ रूपये देने पड़ते हैं।

शराबसे होनेवाली आमदनीका लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्ट्रानके मुसाफिरोंका मजाक अड़नेवाले और अुहें धोखा देनेवाले किसी मृगजलसे भी ज्यादा भयंकर है। आप मेरे ही आर्थिक दृष्टिसे अुचित व्यवसायको लें। अुसका अुत्पादन या अुसकी सेवा समाजको सच्चा या प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवाला लाभ पहुंचाती है, जो अुसे टिकाये रखता है। अुसकी वजहसे लोगोंको जो खाद्य-पदार्थ, कपड़ा, मकान आदि बनानेका सामान मिलता है, वह समाजको होनेवाला स्थायी लाभ है। ये चीजें समाजकी सम्पत्तिमें वृद्धि करती हैं और अुसके कल्याणको बढ़ाती हैं। यिन अद्योगोंमें काम करनेवाले लाखों-करोड़ों लोगोंको जो रोजी या वैतन मिलता है, वह यिन चीजोंसे जनकल्याणमें पहुंचनेवाली सहायताका अंक भाग ही है। यहां तक कि अुसका विज्ञापन भी जानकारी बढ़ानेवाला, बुद्धिको बढ़ानेवाला और रचनात्मक या सर्जक होता है।

लेकिन शराबका व्यापार अंसा नहीं है। यिस सम्बन्धमें हम काफी हद तक फैले हुओ यिस विचारको हमेशा के लिये छोड़ दें कि शराबके व्यापारसे या अुसके जरिये मिलनेवाले पैसेका आर्थिक दृष्टिसे वही मूल्य है, जो सम्पत्ति पैदा करनेवाले किसी अुचित अद्योग पर खर्च किये गये पैसेसे होनेवाली आमदनीका है।

शराब मजदूरोंको जो पैसा या मजदूरी देती है, वह पानेवाले मजदूरोंका पौष्ण भले करे, लेकिन अुससे जनताका कोअी कल्याण नहीं होता। अुल्टे वह मजदूरी जनता पर पड़नेवाला अंक बोझ और जनताके पैसेकी बरबादी है, यिसकी तुलनामें अुसे कोअी लाभ नहीं होता। अगर हम शराबके नतीजों और वुराअियोंकी अुपेक्षा करके पैसा पैदा करनेके लिये शराबके व्यापारको जायज मानें, तब तो हम आजकी दूसरी कोअी वुराअियोंको भी जायज करार देकर आमदनी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोअी यह

सुझाये कि राष्ट्रीय आय बढ़ानेके लिये चोरी और गवनको कानूनी घोषित करना चाहिये, तो यह कितना हास्यास्पद मालूम होगा! देशक, ये दोनों सम्पत्तिके अधिकार पर हमला करते हैं, फिर भी वे अपने शिकारोंका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन नहीं करते। लेकिन शराबका व्यापार आम तौर पर अंसा ही करता है।

हम आगे बढ़कर यह भी दिखा सकते हैं कि जिन मजदूरोंको शराब काम देती है, वे अुचित और कल्याणकारी अुत्पादनके क्षेत्रसे हटा लिये जाते हैं; और अुस हृद तक शराब स्वास्थ्यकारी चीजोंके बाजारको घटाती है, जिन्हें बनानेके लिये ज्यादा मजदूरोंकी जरूरत होती।

हमने अूपरसे दिखाओ देनेवाले शराबके जो वुरे परिणाम गिनाये हैं, अुनसे कहीं ज्यादा नुकसान राष्ट्रको शराबके कारण होता है कि कारखानोंमें काम करनेवाले जो मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते और समय बरबाद करते हैं, अनमें से कम-से-कम ११ फी सदीकी गैरहाजिरीका मुख्य कारण शराब होती है। अन्दाज लगाया गया है कि यिससे हर साल अद्योगोंको लगभग १ अरब डालरका नुकसान होता है। अके जांचमें यिस बातके आंकड़े दिये गये हैं कि कितने मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटके, यिसमें अुन्होंने कितनी समय बरबाद किया और शराब पीनेके कारण अुन्हें कितनी मजदूरी खोनी पड़ी। यिस जांचसे यह अन्दाज लगाया गया था कि शराब पीनेवाले मजदूर अिस तरह जो समय बिहाइते हैं और अच्छा काम नहीं करते, अुसके कारण अमेरिकाको हर साल लगभग १ अरब डालर खोने पड़ते हैं। शराब पीनेवाले मजदूर और दिनोंमें होनेवाली औसतन् दो दुर्घटनाओंके बजाय सोमवारको दुगुनी या तिगुनी दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं। सोमवार अैसा दिन है, जब मेरे देशमें पियकड़ मजदूरों पर नशेकी थोड़ी-बहुत खुमारी बनी रहती है। यिसलिये वे आवश्यक सावधानीसे काम नहीं करते और दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं।

शराबके नशेमें मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते रहते हैं और अच्छा काम नहीं करते यिससे राष्ट्रको बहुत बड़ा नुकसान होता है।

कौन कहता है कि शराबबन्दीसे आमदनीका नुकसान होगा? राज्यको जायज शराबसे जो आय होती है, अुससे कोअी गुना ज्यादा अुस पर अुसे खर्च करना पड़ता है। शराबके व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरबादी होती है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आय नगण्य-सी है। शराबसे होनेवाली तथाकथित आय सिच्चाई-योजनाओं और ज्यादा अच्छे स्कूल खीलनेमें खर्च होनेके बजाय अुत्क कशी गुना बढ़े हुओ खर्चमें लगेगी, जो गुनाहोंको रोकने और कानूनके अमलमें, मानसिक रोगियोंके दबावानामें चलानेमें और नौजवानोंमें बढ़नेवाले दुराचार और गरीबीकी समस्यायें हल करनेमें होगा। और ये सारी समस्यायें जायज शराबके अनिवार्य परिणाम हैं।

अके बातको आप कभी न भूलें: अनुभवसे पता चलता है कि शराबसे आमदनी होती है यह कहना निरा धोखा है। जायज शराबके कारण सरकारों और व्यक्तियोंको काफी बड़े खर्चमें अुतरना पड़ता है।

(अंग्रेजीसे)

कार्यसिद्धिके लिये अगला कदम

दो वर्षमें पच्चास लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका जो महान संकल्प अप्रैल १९५२ में सेवापुरीमें हमने किया था, अुसे चांडिलमें फिरसे दोहराया ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा भी की कि आगामी अेक सालमें पच्चीस लाख अेकड़ जमीन प्राप्त करने मात्रसे हम अपनी कार्यसिद्धि न मानकर १९५७ के पहले पांच करोड़ अेकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर समताधिष्ठित तथा शोषणगृहीन सर्वोदय-समाजके निर्माणके लिये आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे।

गिरिराज हिमाचलकी अेक चोटी पर चढ़ जानेके बाद अुससे भी अूंचो दूसरी चोटोके दर्शनका आनंद पर्वतारोहीको प्राप्त होता है और अुससे अुसका अुत्साह और हौसला अधिक बढ़ जाता है। अप्रैल १९५१ में विनोबाजोको सी अेकड़का पहला दान मिला। सेवापुरीके संमेलन तक लोगोंने अन्हें अेक लाख अेकड़ जमीन दान दी थी। सेवापुरीमें सर्वोदय कार्यकर्ताओंने दो वर्षमें पच्चीस लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका संकल्प किया।

भूदान-यज्ञ ही प्रधान कार्य

चांडिल सम्मेलन तक अिस पच्चास लाखमें से ७-८ लाख अेकड़ जमीन मिलो। अुत्तर प्रदेशने चार लाख ७५ हजार अेकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर अपना पांच लाखका संकल्प लगभग पूरा कर दिया। अिस कार्यके लिये लोगोंमें और कार्यकर्ताओंमें दृढ़ श्रद्धा और अचूक दृष्टि निर्माण करनेमें तथा संकल्प पूरा करनेके लिये आवश्यक संगठन खड़ा करनेमें सेवापुरीके बाद कुछ समय गया। फिर भी अेक वर्षमें छोटे-बड़े हजारों जमीन-मालिकोंने ७-८ लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें दी, अिससे सिद्ध होता है कि भूदान-यज्ञ नी अग्नि जनताके मनमें प्रज्वलित हुश्रो है और वह अेक राष्ट्रीय अंदोलन बन गया है। अुसमें जोश और गति लानेके लिये जीवन-निष्ठ कार्यकर्ता ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें आगे आये, यह जहरो है। अिसालिये चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले लोगों और खासकर रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आवाहन किया गया है कि वे भूदान-यज्ञके कामको पहला स्थान दें।

प्रत्यक्ष कामसे प्रचार हो

गत दो वर्षसे देशमें भूदान-यज्ञका लगातार प्रचार चल रहा है। प्रचार जितना भी किया जाय कम ही होता है, अैसा हमेशाका अनुभव है। फिर भी प्रचारमें अैसी अेक अवस्था या समय आता है कि जब प्रत्यक्ष कामसे ही वह अधिक प्रभावशाली बनता है। अिसलिये अब कार्यकर्ताओंको प्रत्यक्ष भूमिदान प्राप्त करनेमें ही अपनी शक्ति और समय देना चाहिये। यह ध्यानमें रखें कि शरीरकी तत्परता, मनकी अेकाग्रता और चित्तकी निर्वेदताके त्रिवेणी संगम पर ही महान संकल्प-सिद्धिकी पवित्रता तथा सार्थकताका लाभ हो सकता है।

सबका सहयोग लें

आज खेतमें जो फसल खड़ी है, वह सबकी सब अिस वर्ष कट जानी चाहिये। चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले रचनात्मक कार्यकर्ताओंको तथा नवयुवकोंको संकल्प-सिद्धिके काममें खुदको खापा देनेके लिये खास आवाहन किया गया है। लेकिन हमें अहिंसा और हृदय-परिवर्तन द्वारा काम करना है, अिसलिये अिसमें सब लोगोंका समावेश कर लेनेकी नीति हमें रखनी चाहिये।

निश्चित कार्यक्रमके हर गांवसे पांच अेकड़

भूदान-यज्ञमें आहुति देनेवालोंको संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है और वह बड़ी रहेगी। ये सब छोटे-बड़े दाता हमारे क्रियाशील कार्यकर्ता ही हैं। प्रादेशिक भूदान-यज्ञ-समितिके संचालकोंको चाहिये

कि वे जिसकी जैसी शक्ति हो, वैसा अुसे अपने क्षेत्रमें काम देनेकी योजना बनावें। कार्यकर्ताका कार्यक्रम निश्चित किया जाय। अिस निश्चित किये गये क्षेत्रके प्रत्येक गांवमें जाकर सर्वोदयका संदेश बताने और सेवापुरीके प्रस्तावमें कहा है, अुसके अनुसार हर गांवसे कम-से-कम पांच अेकड़ जमीन प्राप्त करनेका संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ताको अपने मनमें करना है। अिस निश्चयसे कार्यकर्ता काम करेंगे, तो अप्रैल १९५४ के पहले पच्चीस लाख अेकड़ जमीन प्राप्त करनेका हमारा संकल्प पूरा होगा, औंसी श्रद्धा हम रख सकते हैं।

शंकरराव देव

सरकारी विज्ञापन

ता० २८-४-'५३ के 'टाइम्स ऑफ अिडिया' के अप्रैलेखमें 'प्रेसके विशेषाधिकारों' के प्रश्न पर कुछ बातें कही गयी हैं, जिनकी ओर अेक पाठक-मित्रने मेरा ध्यान खींचा है। अुनमें से अेक अुस मुद्रेको छूती है, जिसका जिक्र मैने २५ अप्रैलके 'हरिजन' में छपे अपने 'दो सबाल' नामक लेखमें किया है। अुसमें मैने सुझाया है कि जिस तरह विज्ञापन देनेवले व्यक्तिको यह तय करनेका अधिकार होता है कि वह कौनसे अखबारको अपना विज्ञापन दे, अुसी तरह सरकारको भी अेक लोकतांत्रिक संस्था होनेके बावजूद यह तय करनेका अधिकार है कि वह कौनसे अखबारको अपने विज्ञापन दे। और अेक शर्तके रूपमें मैने अुसमें जोड़ा है:

"प्रजाहितके द्रस्टीके नाते सरकारको अपना यह अधिकार समाजकी सुरक्षितता और अुसकी नीति, विवेक या सुरुचिकी सर्वसाधारण जल्दतको देखकर आम लोगोंकी भलाईके लिये बरतना चाहिये। सरकारके और कामोंकी तरह अुसमें भी किसी तरहका अन्याय नहीं होना चाहिये। अिसलिये सरकारी विज्ञापन पाना अखबारोंका अवधित अधिकार नहीं माना जा सकता। यदि अखबार विनय, विवेक तथा सुरुचिका स्तर कायम न रखकर गिरने लगें या राज्य और प्रजाकी सुरक्षितताके लिये खतरा पैदा करने लगें, तो अुनके प्रति जैसे प्रजा अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकती है, अुसी तरह सरकार भी कर सकती है; और जहां आवश्यकता हो वहां वह कानूनसे भी काम ले सकती है। अिसका अर्थ यह कि सरकार कड़वी-भीठी टीकाकी तरफ ध्यान न दे। जैसा कि शुरूमें कहा गया है, प्रामाणिक टीकाकी छूट तो रहनी ही चाहिये। लेकिन अखबार यदि सर्वसाधारण सुरुचि और सज्जनता आदिका भंग करने लगें, तो यह अुनकी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छन्दता ही मानी जानी चाहिये। अिसके खिलाफ राज्य और प्रजा दोनोंको अपनी नाराजी दिखानी ही चाहिये। अखबारोंकी स्वतंत्रता भी अेक जिम्मेदारी है, और अिस बताका सदा ध्यान रखना समाज और राज्यका फर्ज है कि अुस स्वतंत्रताका कभी दुरुपयोग न हो।"

'टाइम्स ऑफ अिडिया' अूपरकी शर्तकी अुपेक्षा करता है और यह कहकर मेरे सुझावका विरोध करता है कि "विज्ञापन देनेवाली सरकारसे खानगी विज्ञापनदाताकी तुलनाका बिलकुल समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनोंके बीच बुनियादी भेद है। खानगी विज्ञापनदाताका सारा पैसा अुसका अपना होता है, जब कि सरकारी विज्ञापनोंके संबंधमें पैसा जनताका होता है।" अूपर बताये गये अपने लेखमें मैं यह भेद बता चुका हूँ। लेकिन अुससे कोई खास फर्क पैदा नहीं होता। खानगी विज्ञापनदाता भी अिस अधिकारका मनचाहा अुपयोग नहीं कर सकता। समाजमें व्यक्तियों या संस्था किसीको भी औंसा अवधित अधिकार नहीं हो सकता। अिसे

सब कोओ स्वीकार करेंगे कि प्रजाके द्रस्टीके नाते राज्य और अुसकी सरकारको जनहितकी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। बेशक, सरकार सुराज्यके हितोंको नुकसान पहुँचाये विना विस जिम्मेदारीको छोड़ नहीं सकती। यह सरकारका विशेषाधिकार नहीं, बल्कि अुसकी जिम्मेदारी है। खानगी विज्ञापनदाताकी भी अंसी ही जिम्मेदारी है, यद्यपि छोटे पैसाने पर। क्योंकि वह अपने पैसेका वैसा निरंकुश मालिक नहीं है, जैसा कि 'टाइम्स ऑफ अंडिया' अुसे मानता है। वह भी अपने पैसेका अुपयोग जनताके सामूहिक कल्याणके द्रस्टीके नाते ही कर सकता है, यद्यपि अुसमें अुसका छोटा लाभ समाया हुआ है। खानगी हितको सार्वजनिक हितमें सहायक होना चाहिये, अुसके खिलाफ नहीं जाना चाहिये। यह प्रतिपादन करना गलत सामाजिक दर्शन या अेक खतरनाक सिद्धान्त होगा कि किसी व्यक्तिका पैसा, जमीन-जायदाद और अुसकी मानसिक शक्तियां भी केवल अुसोंकी हैं और अुनका मनचाहा अुपयोग करनेका अुसे हक है। जैसा कि गांधीजोने हमें सिद्धानेका प्रयत्न किया, समाजमें रहनेवाला मनुष्य समाजका द्रस्टी है, अुसीके भलेके लिये अुसका अस्तित्व है; अपनी अुपरोक्त चीजोंकी मददसे वह जो कुछ भी करता है, वह सब समाजके कल्याणके लिये होना चाहिये। अुसका सारा पैसा-टका, जमीन-जायदाद वगैरा विस अर्धमें अुसोंके नहीं है कि वह समाजको हानि पहुँचानेवाले ढंगसे अुनका अुपयोग कर सकता है। समाजने अुसे अिन चीजोंके स्वामित्वका जो अधिकार दिया है, वह अेक जिम्मेदारी है, अेक द्रस्ट है। यह सिद्धान्त व्यक्तियां या संस्थाओं सभी पर अेकसा लागू होता है। समाजमें किसोको भी असोम या अवाधित अधिकार नहीं हो सकता। बेशक, जनताका पैसा सरकारके हाथमें कोओ मेरह-बानोंमें बांटनेकी चोंज़ नहीं है; वह अेक जिम्मेदारी है, और जनताके द्रस्टोंके नाते यह देखना राज्यका फर्ज है कि जनतासे वह जो पैसा जिकट्ठा करता है अुसका अच्छेसे अच्छा अुपयोग हो। यह बात कोओ नहीं कहता कि अुसके अुपयोगमें किसी राजनीतिक पार्टिके प्रति पक्षपातकी नीति बरती जाय।

यह भी याद रखना चाहिये कि अूपर विस द्रस्टीशीपके सिद्धान्तकी चर्चा की गयी है, वह प्रेसको भी लागू होता है। अुसे यह समझना चाहिये कि विज्ञापन निकालना अुसके लिये केवल लाभका ही काम नहीं है; वह अेक जिम्मेदारी है। विसलिये आम लोगोंको मदद पहुँचाने, शिक्षा देने और सही रास्ता बतानेकी दृष्टिसे प्रेसको अच्छे और बुरे विज्ञापनके बीच भेद करना चाहिये। यह बड़े दुःखकी बात है कि आज प्रेस विज्ञापनके बारेमें विस दृष्टिसे विचार नहीं करता। हम आशा करें कि प्रेस कमीशन विस परेशान करनेवाले प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालेगा।

अन्तमें सरकारी विज्ञापनोंके बारेमें अेक बात और जोड़ दूँ। आम तीर पर सरकारी विज्ञापन खानगी व्यापारिक या व्यावसायिक विज्ञापनके ढंगके नहीं होते। अुनका रूप लगभग सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक विज्ञप्तिका होता है। प्रेस भी अेसा ही मान कर अुन्हें सार्वजनिक समाचारके नाते अपने कालमोंमें अनुकूल स्थान दे सकता है और व्यापारिक लाभकी दृष्टि छोड़ सकता है। प्रेसकी यह दृष्टि सरकारी विज्ञापनसे पैसे कमानेके अुस गन्दे खयालको ही पूरी तरह बदल देगी, जो मुझे डर है कि विज्ञापनके सामने सार्वजनिक प्रेसके विशेषाधिकारों और स्वतंत्रताके बारेमें हमारे स्पष्ट विचारको विकृत कर देता है।

२-५-'५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभावी देसाभी

काश्मीरकी राजभाषा

अभी हालमें काश्मीर और जम्मूके मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाने यह घोषणा की कि नागरी और अुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जानेवाली अुर्दू राज्यकी राजभाषा होगी। अुन्होंने कहा कि भारतीय संविधानमें भारतकी प्रादेशिक भाषाओंके विकास और समृद्धिकी व्यवस्था की गयी है और अुर्दू काश्मीरकी प्रादेशिक भाषा है। सारे राज्यके लोग अुसे समझते हैं और वह सदियोंसे राज्यकी राजभाषा रही है। अुन्होंने यह भी कहा कि हिन्दीका भी अुचित विचार किया जाना चाहिये; क्योंकि देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी भारतीय संघकी राजभाषा होगी। शायद विसी दृष्टिसे अुन्होंने यह घोषणा की कि राजभाषा अुर्दू सीधीसादी और आसान होगी और वह नागरी लिपिमें भी लिखी जायगी। गांधीजीने बार-बार हमसे यह कहा है कि अगर संस्कृतसे लदी हुअी हिन्दी और अरबी-फारसीसे लदी अुर्दूको वितना सादा और आसान बना दिया जाय कि अुसे अुत्तरके आम लोग समझ सकें, तो भाषासे कोओ सम्बन्ध न रखनेवाले कारणों द्वारा पैदा किया हुआ हिन्दी-अुर्दूके बीचका अवांछनीय और कृत्रिम 'भेद मिटने लगेगा और हमें अेक आसान भाषा मिल जायगी — भले अुसे हम हिन्दी, अुर्दू या हिन्दुस्तानी किसी भी नामसे पुकारें। काश्मीरका प्रयोग गांधीजोके विस विधानको प्रभाणित करनेवाला अेक स्वागत योग्य प्रयोग हो सकता है। हर हालतमें यह अच्छी बात है कि काश्मीरमें अुर्दूके लिये नागरी लिपिका भी अुपयोग होगा। अगर दिल्ली, अुत्तरप्रदेश, विहार वगैरा भी यह तथ कर लें कि नागरी या अुर्दूमें लिखी जानेवाली हिन्दी अिन प्रदेशोंकी राजभाषा होगी, क्योंकि अुर्दू वहांकी अेक प्रादेशिक भाषा है, तो भारतके विधानके आदेशानुसार हमारी राष्ट्रभाषाके विकासमें यह अुम्दा चीज़ होगी। विस तरह काम किया जाय तो राष्ट्रीय साहित्यिक और विकासके लिये हिन्दी और अुर्दूकी सारी अंसी राष्ट्रीय हिन्दी, जो अुत्तरके आम लोगोंके लिये ज्यादा सादी और आसान होगी और राष्ट्रभाषाके नाते भी जिसे लोग आजसे ज्यादा स्वीकार करेंगे।

२-६-४-'५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभावी देसाभी

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी

अनु० काश्मीराथ त्रिवेदी

कीमत १-८-०

दाकखाच ०-८-०

नवजीवन कायलिय, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

हमारा अनोखा भिशन - २	पृष्ठ
आनंद और शाराबबंदी	७३
शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है	७६
कार्यसिद्धिके लिये अगला कदम	७७
सरकारी विज्ञापन	७९
काश्मीरकी राजभाषा	७९
मगनभावी देसाभी	८०